

## **मध्यप्रदेश विधान सभा**

तात्त्विक अगस्त-सितंबर, 1994 सत्र  
प्रभागीय (फ्रेंच भाषा के लिए इलेक्ट्रॉनिक सहित सिर्फ़ तात्त्विक अगस्त-सितंबर, 1994 सत्र)  
प्राप्ति नियामक उन्नास नाम्बर १००१

सोमवार, दिनांक 12 सितम्बर, 1994 (भाद्र 21, 1916)

ਅਨੁ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਲਾਗੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

**८५२** समय १०.३० बाजे दिन

## 1. निधन का उत्तरोत्तम

- (1) श्रीमती रामदुलारी सिन्हा, भूतपूर्व केन्द्रीय राज्यमंत्री  
 (2) श्री मोतीराम उडगू, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा  
 (3) श्री शिवप्रसाद गोटिया, भूतपूर्व सदस्य विधान सभा

पृथक्कर्ता वितरित सूची में सम्प्रतित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे।

**प्रियजनों का पटल पर रखा जाना**

- (1) श्री बी.आर. यादव, वन मंत्री, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की धारा 39 (2) एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 35 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1993-94 पटल पर रखेंगे।

(2) श्री हरवंश सिंह, लोक स्वास्थ्य दात्रिकी मंत्री, मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम अधिनियम, 1979 (क्रमांक 6 सन् 1979) की धारा 30 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य मत्स्य विकास निगम का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 पटल पर रखेंगे।

(3) श्री नर्मदा प्रसाद प्रज्ञापति, राज्य मंत्री उर्जा, विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 61 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश विद्युत मंडल का वार्षिक वित्तीय विवरण वर्ष 1994-95 का भाग 1 व 2 पटल पर रखेंगे।

(4) श्री मुकेश नायक, राज्यमंत्री उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय (संशोधन)

(क) डॉ. हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर का वार्षिक प्रतिवेदन दिनांक 1 जुलाई 1990 से 30 जून, 1991, 1 जुलाई 1991 से 30 जून 1992 तथा वर्ष 1991-92 का अंकेभण प्रतिवेदन एवं वार्षिक लेखा वर्ष 1992-93

(ख) देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इन्डौर का दिनांक 30 जून 1991, 30 जून 1992 एवं दिनांक 30 जून 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन,

(घ) गुरु धार्मिक विश्वविद्यालय बिलासपुर का नवम् एवं दशम् वार्षिक प्रतिवेदन  
वर्ष १९९१-९२ एवं १९९२-९३

(३.) रानी दुग्धिती विश्वविद्यालय जबलपुर का दिनांक ३० जून १९९२ एवं ३० जून १९९३ को समाप्त होने वाले वर्ष का वार्षिक प्रतिवेदन

(च) जीवाजी विश्वविद्यालय गवालियर के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 एवं 1992-93.

(छ) विक्रम विश्वविद्यालय उच्चारण के वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92 एवं 1992-93,

(ब) बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल का 21 वां एवं 22 वां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 1 जुलाई 1991 से 30 जून 1992 एवं 1 जुलाई 1992 से 30 जून 1993)

(ज) मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग अधिनियम, 1973 (क्रमांक 21 सन् 1973) की धारा 18 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार तत्कालीन मध्यप्रदेश उच्च शिक्षा अनुदान आयोग भौपाल का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1991-92

(5) श्री रत्नेश सालोमन, राज्यमंत्री खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, कम्पनीज एकट, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (3) (ख) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड, भोपाल की सोलहवीं वार्षिक रिपोर्ट वर्ष 1989-90

# राज्य सांविधानी अधिनियम

-२-

(6) श्री शिव नेताम, राज्यमंत्री सामान्य प्रशासन, मध्यप्रदेश लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) की धारा 20 की अपेक्षानुसार सामान्य प्रशासन विभाग की निम्नलिखित अधिसूचनायें :-

(क) क्रमांक एफ 6-25-94-एक.आ.प्र. दिनांक 29 जून, 1994 तथा

(ख) क्रमांक एफ 7-26-93-एक-आप्र-३ दिनांक 2 अगस्त, 1994,

पटल पर रखेगे।

## 4. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानाकरण (१)

(1) डॉ. रामलखन सिंह (भिण्ड), डॉ. गोविन्द सिंह, श्री कैलाश विजयवर्गीय, सदस्य, गवालियर में पी.एम.टी. परीक्षा के प्रश्न-पत्रों की गोपनीयता भंग होने की ओर जनशक्ति नियोजन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

(2) श्री रामलखन सिंह पटेल, सदस्य, सतना जिले के ग्राम भौतरा में भूख से पति-पत्नि की मृत्यु होने की ओर समाज कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेगे।

## 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री बच्चन नायक, सदस्य, जबलपुर जिले के -

1991, मध्यनीति विभागीय लोकसेवा इनियमि कि १८ शाह कि १९९१

मध्यनीति लोकसेवा (क) ग्राम घुघरा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने, (S) १८ शाह कि

(ख) ग्राम चनहटा में भिडिल स्कूल खोले जाने, पर ५५५ १०-१९९१ शाह

(ग) ग्राम घुघरा-खरखरी में कटनी नदी से उद्वहन सिंचाई योजना की स्वीकृति दिये जाने,

(घ) शीठी विकासखंड के ग्रामों में आदिवासी क्षेत्र उपयोजनांतर्गत नल-कूप खनन कर सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराये जाने, तथा १९९४-१९९५ शाह

(ड.) ग्राम देवरी-हटाई में चिकित्सालय खोले जाने,

(2) श्री झल्लूलाल तेकाम, सदस्य, मंडला जिले के -

1991, मध्यनीति विभागीय लोकसेवा इनियमि कि १८ शाह कि १९९१

(क) ग्राम मेदाताल में शासकीय माध्यमिक शाला खोले जाने, परिवार लोकों

(ख) ग्राम भुआबिहिया में पीने के पानी की व्यवस्था किये जाने,

(ग) ग्राम भुआबिहिया में मैट्रिकोलर छात्रावास खोले जाने, तथा (H)

(घ) ग्राम भुआबिहिया स्थित शासकीय छात्रावास में 50 सीटें स्वीकृत कराये जाने,

(3) श्री मुनिराम साहू, सदस्य, बिलासपुर जिले के ग्राम रोहा के पास

गुरु धारीदास विश्वविद्यालय का भवन बनाये जाने, पर १९९१ मध्यनीति लोकसेवा

(4) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य -

1991, मध्यनीति लोकोंतर लोकसेवा इनियमि कि १८ शाह कि १९९१

(क) टीकमगढ़ जिले के मातोल तालाब कीड़र केनाल को पुरा कराये जाने, एवं

(ख) टीकमगढ़ जिले के ग्राम छूड़ा से सूर्यमन्दिर उमरी तक सड़क बनाये जाने, तथा

(5) डॉ. सीतासरन शर्मा, सदस्य, होशंगाबाद जिले के इटारसी नगर में रेलवे ओवर ब्रिज को पूर्ण कराये जाने, एवं

(6) श्री बृजेन्द्र सिंह राठौर, सदस्य, टीकमगढ़ जिले के ग्राम कनौरा में माध्यमिक शाला खोले जाने,

के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेगे। परिवार इनाजीली विधायी (L)

## 6. नियम 139 के अधीन अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा

नर्मदा नदी पर निर्माणाधीन सरदार सरोवर बांध की ऊंचाई अधिक होने से प्रदेश के विस्थापित परिवारों के व्यवस्थापन में उत्पन्न हो रही गंभीर समस्याओं के संबंध में सर्वश्री सुरेन्द्र सिंह सिसोदिया, रामलखन शर्मा, बच्चन नायक, सोनेराम कुशवाह, रामलखन सिंह (त्योधर), डॉ. गोविन्द सिंह तथा श्री रामचन्द्र सिंहदेव, सदस्य चर्चा उठायेंगे।

निर्धारित समय 2 घन्टे

2 घन्टे (1) मध्यप्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रतिवेदन भाग 1 वर 2 पर चर्चा।

1 घन्टा (2) इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर की वैधानिक आडिट रिपोर्ट/उत्तर

30 मि. एवं बोर्ड की टिप्पणी वर्ष 1990-91 (अनुभाग-1) पर चर्चा।

## 7. प्रतिवेदनों पर चर्चा

भोपाल : इनियमि कि १८ शाह कि १९९१ मध्यनीति लोकसेवा इनियमि कि १८ शाह कि १९९१

दिनांक : 11 सितम्बर, 1994

१९९१ मध्यनीति लोकसेवा इनियमि कि १८ शाह कि १९९१ मध्यप्रदेश विधान सभा

१९९१ मध्यनीति लोकसेवा इनियमि कि १८ शाह कि १९९१

१९९१ मध्यनीति लोकसेवा इनियमि कि १८ शाह कि १९९१

१९९१ मध्यनीति लोकसेवा इनियमि कि १८ शाह कि १९९१

१९९१ मध्यनीति लोकसेवा इनियमि कि १८ शाह कि १९९१